रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1687] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2015/श्रावण 20, 1937
No. 1687] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2015 /SRAVANA 20, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2015

का.आ. 2181(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 34) की धारा 5 और 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री आशीष बहुगुणा को, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, 80,000 रु. प्रतिमाह के वेतनमान तथा समय-समय पर लागू अन्य भत्तों के साथ 29 जुलाई, 2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

[फा. सं. पी-15025/27/2014-डीएफक्यूसी]

कुन्दन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2015

S.O. 2181(E).—In exercise of powers conferred under Sections 5 and 7 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act No. 34 of 2006), the Central Government hereby appoints Shri Ashish Bahaguna as Chairperson of the Food Safety and Standards Authority of India, in the scale of Rs. 80,000 per month plus other allowances as applicable from time to time, with effect from 29th July, 2015 for a period of three years or till the age of 65 years or until further order, whichever is earliest.

[F. No. P-15025/27/2014-DFQC]

K. L. SHARMA, Jt. Secy.

3432 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.